

05/06/25

अधिवक्ता अपीलेंट अनु. | अपीलेंट एवं उनके
अधिवक्ता को न्यायालय की ओर से बार-बार
आवाजे लगाने के बावजूद मोरि उपास्थित नहीं
आया। अतः पत्रावली अदम हाजिरी अदम
चैरबी में धारिज की जाती है। पत्रावली
फैसल सुमार लेकर बाद आवश्यक उपास्थिती
हाजिल कृप्यर हो।